न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5548/2018/धार/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 1-9-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 147/अपील/2017-18

1-छगन पिता स्व0 सात्या पाटीदार
2-अशोक पिता स्व0 छगन पाटीदार
दोनों निवासी जूनी मनावर तहसील मनावर
जिला धार म0प्र0
3- जमना पिता स्व0 सात्या मृत तर्फे वारिस
अ- रेखा पिता जगदीश पति संजय पाटीदार
निवासी अंजड़ तहसील अंजड़ जिला बडवानी म0प्र0
ब- ममता पिता जगदीश पिता संजय पाटीदार
निवासी ग्राम लंगूर तहसील मनावर जिला धार म0प्र0 ..... आवेदकगण

विरूद्ध

गंगाबाई पिता स्व0 सात्या पाटीदार
निवासी ग्राम हनुमत्या तहसील मनावर जिला धार
हाल निवासी बजरंगी गली अंजड़ तहसील अंजड़
जिला बडवानी म0प्र0 .....अनावेदिका

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक - आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक - अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/1/19 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-9-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हनुमत्या तहसील मनावर जिला धार स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1/2 रकबा 3.783 एवं सर्वे नम्बर 36 रकबा 2.111 हैक्टेयर कुल रकबा 5.894 हेक्टेयर भूमि सात्या पिता नत्थू के नाम से राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज होकर प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा तहसीलदार मनावर जिला धार द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 43 पर पारित आदेश दिनांक 30-9-2001 से मूल भूमिस्वामी सात्या पिता नत्थू एवं उनके पुत्र छगन एवं अशोक के मध्य किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका गंगाबाई द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मनावर जिला धार के समक्ष प्रथम अपील लगभग 16 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से दिनांक 8-9-2017 को प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24-11-2017 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानकर अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 1-9-2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर ग्राम हनुमत्या तहसील मनावर की भूमि सर्वे नम्बर 1/2 रकबा 3.783 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 36 रकबा 2.111 हेक्टेयर भूमि पर पूर्वानुसार मूल भूमि स्वामी सात्या पिता नत्थू का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) स्व. सात्या जी के द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी एकांकी मालकी व आधिपत्य की स्व अर्जित सम्पत्ति भूमि सर्वे क्रमांक 1/2, 1/4 एवं 36 कुल रकबा 5.894 हैक्टेयर के विभाजन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया, जिस पर तहसीलदार के द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 43 पर आदेश दिनांक 30.09.2001 से विभाजन विधिवत् किया गया। उक्त सम्पत्ति स्व. सात्या जी की स्व अर्जित सम्पत्ति होने से उन्हैं उनके जीवनकाल में उक्त सम्पत्ति को अंतरण करने का, बिक्री करने का, दान करने का पूर्ण अधिकार था तथा उनके जीवनकाल में अनावेदिका गंगाबाई को या अन्य किसी भी वारिसान को इसमें आपत्ति लेने का तत्समय किसी भी प्रचलित विधि अनुसार कतई अधिकार प्राप्त नहीं थे और ना ही अनावेदिका गंगाबाई या किसी अन्य वारिस को उक्त विभाजन पर सुनवाई का अवसर देने की किसी भी

विधि अनुसार आवश्यकता थी । राजस्व मण्डल का अभिमत - धारा 178 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 - "अभिलिखित भू-स्वामी द्वारा अपने खाते के किसी भी भाग को पृथक् किया जा सकता है या उसे अंतरित किया जा सकता है, उसके परिवार के सदस्य उसके जीवनकाल में या मृत्यु के बाद ऐसे विभाजित खाते में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं कर सकेंगे।" मोहनसिंह वि. राजाबेटी तथा अन्य 2004 राजस्व निर्णय 284 ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी, मनावर के द्वारा गंगाबाई की प्रथम अपील क्रमांक 55/2016-17 को दिनांक 14.11.2017 को 16 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत करने पर निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध अनावेदिका गंगाबाई के द्वारा अपील अपर आयुक्त, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की, उक्त अपील क्रमांक 147/2017-18 आयुक्त के द्वारा स्वीकार की गई, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील अवधि बाहर मानकर धारा 5 अवधि विधान के आवेदन को अस्वीकार करते हुए 17 वर्ष का विलंब क्षमा नहीं किया गया था अर्थात् उक्त अपील गुण-दोष पर खारिज नहीं की गई होने से अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपील क्रमांक 55/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2017 के विरूद्ध तत्समय निगरानी संहिता की धारा 50 के अंतर्गत विद्यमान प्रावधानों के तहत राजस्व मण्डल, ग्वालियर में की जानी चाहिए थी, ना कि द्वितीय अपील संहिता की धारा 44 के तहत अपर आयुक्त को करना थी, इस प्रकार अपर आयुक्त के द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 147/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2018 विधि विधान के विपरीत होकर क्षेत्राधिकार विहीन होने से विधि की घोर त्रुटि होकर उक्त आदेश स्वमेव विधि की दृष्टि में शून्य है व स्वमेव निरस्ती योग्य है।

(3) स्व. सात्या पिता नत्थु, जाति कुलमी, निवासी मनावर की चार संतान होकर दो पुत्र कांजी एवं आवेदक छगन है एवं दो पुत्रियां जिसमें एक पुत्री अनावेदिका गंगाबाई व दूसरी पुत्री आवेदिका रेखा व ममता की माता स्व. जमनाबाई थी।

(4) अनावेदिका गंगाबाई एवं छगन के द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2006-07 में दो आवेदन पत्र नामांतरण बावत् तहसीलदार मनावर के समक्ष भाई कांजी के विरूद्ध ग्राम कस्थली की भूमि के संबंध में प्रस्तुत किए थे, जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 37/अ-6/2006-07 एवं प्रकरण क्रमांक 38/अ-6/2006-07 पर दर्ज हुए होकर उक्त प्रकरण में अनावेदिका गंगाबाई के कथन भी अंकित हुए थे, उक्त कथन में दिनांक 01.07.1991 के दस्तावेज पारिवारिक बटवारा लेख कांजी के अभिभाषक के द्वारा प्रदर्शांकित करवाया गया था, उक्त बंटवारा लेख सात्या जी की संपूर्ण कृषि

भूमि के संबंध में था, उक्त दोनों प्रकरण खारिज हुए, जिसके विरूद्ध आवेदक छगन व अनावेदिका गंगाबाई ने दो अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.05.2007 को प्रस्तुत की गई, जो अपील क्रमांक 09/2007-08 एवं अपील प्रकरण क्रमांक 10/2006-07 पर दर्ज हुई होकर उक्त अपील में अनावेदिका गंगाबाई एवं आवेदक छगन एवं इनके भाई कांजी के मध्य स्व. सात्या की संपूर्ण कृषि भूमि के संबंध में लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ग्राम कस्थली, तहसील मनावर की कृषि भूमि एवं ग्राम हनुमंत्या की प्रश्नाधीन भूमि का पूर्ण खुलासा किया गया होकर उल्लेख किया कि ग्राम कस्थली की भूमि भाई कांजी के हक-हिस्से मे रहेगी व ग्राम हनुमंत्या की प्रश्नाधीन भूमि आवेदक छगन के हक-हिस्से में रहेगी। इस प्रकार का राजीनामा अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण क्रमांक 9/2007-08 एवं अपील क्रमांक 10/2006-07 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त अपील प्रकरण की प्रमाणित प्रति के साथ में राजीनामा एवं प्रकरण क्रमांक 37/अ-6/2006-07 में हुए गंगाबाई के कथन भी उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रति के साथ लिखित तर्क में संलग्न है। इस प्रकार अनावेदिका गंगाबाई के द्वारा प्रथम अपील क्रमांक 55/2016-17 अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा उक्त अपील तहसीलदार के पंजी क्रमांक 43 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2001 के विरूद्ध 17 वर्ष पश्चात अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में इस तर्क के साथ प्रस्तुत की कि वर्ष 2017 में प्रश्नाधीन भूमि की खाते-खसरे की नकल निकालने पर अनावेदिका को तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.09.2001 की जानकारी प्राप्त हुई होने से उक्त अपील अब प्रस्तुत की गई है। उक्त तथ्य स्वमेव असत्य सिद्ध होता है क्योंकि तहसीलदार के समक्ष स्वयं गंगाबाई के द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ-6/2006-07 एवं प्रकरण क्रमांक 38/अ-6/2006-07 में गंगाबाई के कथन में एवं इनके विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक 09/2007-08 एवं अपील क्रमांक 10/2006-07 में प्रस्तुत राजीनामे में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में भी संपूर्ण खुलासा हो गया था, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अनावेदिका गंगाबाई के अपील क्रमांक 55/2016-17 आदेश दिनांक 14.11.2017 में 16 वर्ष का विलंब क्षमा नहीं कर अपील निरस्त विधि अनुसार की गई होकर विधि अनुसार यथावत् रखने योग्य है, क्योंकि 17 वर्ष का उक्त उल्लेखित विलंब का कारण पर्याप्त एवं समुचित नहीं है। अवधि विधान की धारा 5 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया कि - "अपील में समुचित एवं पर्याप्त कारण न होने से 10 वर्ष 26 दिवस का विलंब क्षम्य किये जाने से इंकार किया गया। अपील अवधि बाह्य होने से खारिज की गई" पुष्पाबाई कुशवाह बनाम संतोष कुमार गुप्ता 2012 (4) एम.पी.एल.जे. 557 एवं

ए.आई.आर. 2013 एम.पी. 93 एवं पुष्पलता कुमारी बनाम रेनबेक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड 2012(1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 10 एवं म.प्र. राज्य व अन्य बनाम राजाराम एवं अन्य 2013 आर.एन. 300 (माननीय उच्च न्यायालय)।

(5) अनावेदिका गंगाबाई के द्वारा तहसील न्यायालय प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी की प्रथम अपील 55/2016-17 एवं अपर आयुक्त की द्वितीय अपील क्रमांक 147/2017-18 में अनावेदिका गंगाबाई के द्वारा मूल पुरूष स्व. सात्या के वारिसान् की सही जानकारी नहीं दी गई अर्थात् स्व. सात्या के पुत्र कांजी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया और ना ही वर्ष 2006-07 में तहसील न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी में निराकृत प्रकरणों एवं अपील के परिणामों की एवं कार्यवाही की जानकारी नहीं दी तथा दिनांक 01.07.1991 का निष्पादित दस्तावेज पारिवारिक बंटवारा लेख एवं कांजी छगन व गंगाबाई के मध्य दिनांक 18.09.2007 को निष्पादित हुए प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में समझौतानामा के तथ्य को भी छुपाया गया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्त अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के साथ छल-कपट कर दिनांक 01.09.2018 का आदेश पारित करवाया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है, विधि अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के तहत निर्णय प्राप्त करने में कपट या दु:संधी होने की स्थिति में अभिप्राप्त निर्णय, डिक्री या आदेश स्वयं में दूषित होते हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया कि "कपट से प्राप्त निर्णय आज्ञप्ति या आदेश अकृत एवं शून्य है, उक्त निर्णय को प्रथम या अंतिम न्यायालय अकृत समझेगा तथा जहां कपट किया जाना स्थापित किया गया आदेश प्रभावहीन हो जावेगा और विधि की दृष्टि में वह आदेश नहीं है।" ए.बी. पफ्यया शास्त्री विरूद्ध आंध्रप्रदेश राज्य (2007) 4 एस.एस.सी. 221 एवं ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1546।

(6) अनावेदिका गंगाबाई के द्वारा स्व. सात्या जी के पुत्र कांजी को बंटवारे में प्राप्त भूमि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं ली होकर उस बंटवारे को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई मात्र आवेदक छगन के खिलाफ ही अनावेदिका गंगाबाई के द्वारा पिता के जीवनकाल में ही किए गये विभाजन को चुनौती दी गई है अर्थात् जाहिर है कांजी के विभाजन को चुनौती नहीं देने का मतलब यह है कि आवेदक छगन से वर्तमान गंगाबाई की रंजिश है, वह आवेदक छगन को परेशान करने की नीयत से एवं उससे अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने की नीयत से ही बंटवारा दिनांक 30.09.2001 तहसीलदार के आदेश को चुनौती अनावेदिका गंगाबाई ने दी है,

जिससे गंगाबाई की मंशास्पष्ट होती है। इसलिए उक्त निगरानी स्वीकार की जाकरअधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है।

(7) अनावेदिका गंगाबाई के द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में स्व. सात्या के पुत्र कांजी को पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए भी उक्त दोनों अपीलें आदेश 1 नियत 9 सी.पी.सी. के तहत आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण प्रचलन योग्य नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। आदेश 1 नियम 9 सी.पी.सी. इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया है - ''आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन'' - ''प्रक्रियात्मक विधि साथ ही साथ मूल विधि दोनों आज्ञा देती है कि आवश्यक पक्षकारों के अभाव में पारित आदेश एक अकृतता है और कोई आबद्धकारी प्रभाव नहीं रखता है।'' खेत्रवासी विस्वाल बनाम अजय कुमार बराल और अन्य 2004(11) ले.सु.को.टु. 27।

(8) प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाहर होने से निरस्त की गई तथा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, किंतु उक्त न्यायालय को अपील की सुनवाई का वास्तविक में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए आवेदक छगन व अन्य के द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, अपितु अपर आयुक्त को सभी दस्तावेजों का अवलोकन अवश्य करवा दिया गया था तथा म.प्र. भू-राजस्व संहिता में हुए संशोधन के पश्चात् अब किसी भी साक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रकरण का रिमाण्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि म.प्र. भू-राजस्व संहिता में हुए संशोधन से धारा 49 की उपधारा 3 के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य भी ली जा सकती है, किंतु किसी साक्ष्य की पूर्ति के लिए धारा 49 की उपधारा 3 के परंतुक अनुसार मामला प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए समस्त दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्हें इस न्यायालय प्रदर्शांकित कर सुनवाई में ग्राह्य करना न्यायहित में आवश्यक है। उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धांत है कि नामान्तरण पंजी विधिक रूप से मात्र अविवादित

नामान्तरण के ही उपयोग में ली जा सकती है । नामान्तरण पंजी पर बंटवारा नहीं किया जा सकता है और ना ही नामान्तरण पंजी पर ऐसा बटवारा विधिक है ।

(2) संहिता की धारा 178-क में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी भूमिस्वामी अगर अपने जीवनकाल में अपनी भूमि को विभाजित करना चाहे तो सभी विधिक वारिस को सुनवाई पश्चात् खाता विभाजित किया जा सकता है ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सात्या पिता नत्थु की भूमि के संबंध में अपने जीवनकाल में बंटवारा चाहा है । ऐसी दशा में अनावेदिका जो सात्या की बैध पुत्री है उसकी गैर मोजुदगी में तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा की कार्यवाही नामान्तरण पंजी पर पारित कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय इस बात पर भी विचार नहीं किया है कि जहॉ तक बंटवारा कराने का प्रश्न है उक्त अनुसार संहिता की धारा 178 के नियम 2 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि बंटवारे के लिये विधि अनुसार तहसीलदार को कम से कम 30 दिवस का और अधिक से अधिक 60 दिवस की विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी एवं दावे आपत्ति बुलाना होगे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानून को अनदेखा कर बटवारा किया गया है जो विधिक नहीं था । जिसे द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक रूप से सभी विधिक परिस्थितियों को देखते हुये तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय का आदेश निरस्त करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है ।

(4) संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार विधिक रूप से सात्या के सभी विधिक वारिसों को व्यक्तिगत सूचना देनी चाहिये जो कि नहीं दी गई है इसलिये तहसील न्यायालय का ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अत: अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित स्थिर रखे जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1995 आरएन 27, 1994 आरएन 102, 2015 आरएन 509, 2010 आरएन 111, 2002 आरएन 412, 2003 आरएन 198, 1997 आरएन 345, 2010 आरएन 157 एवं 2014 आरएन 291 व 393 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील द्वारा सहमति से दिनांक 30.9.2001 को बंटवारा आदेश पारित

किया गया है। अनावेदिका द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष् अपील लगभग 16 वर्ष् से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण प्रश्नाधीन भूमि के बंटवारे से इन्कार करने पर पटवारीसे जानकारी होना दर्शाया गया है, जो विश्वसनीय नहीं होकर समाधानकारक नहीं है । क्योंकि परिवार के सदस्य को 16 वर्षो तक बटवारे की जानकारी नहीं होना मान्य योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अनावेदिका द्वारा दिनांक 7-4-2006 को सत्या का स्वर्गवास होने के पश्चात भी लगभग 11 वर्षो तक बंटवारे की कार्यवाही नहीं करना यह दर्शाता है कि अनावेदिका को पूर्व में हुए बंटवारे की जानकारी प्रारंभ से ही रही है । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्को के संलग्न प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्ष एवं अन्य के मध्य तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकार के समक्ष चले प्रकरण, उनमें हुए समझौते एवं अनावेदिका के कथन सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतियों से भी इस त्थ्य की पूष्टि होती है कि अनावेदिका को प्रारंभ से ही बंटवारे की जानकारी रही है, और लगभग 16 वर्ष् से भी अधिक विलम्ब से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया जाना अनावेदिक की बाद की सोच एव दुर्भावना को स्पष्टत: दर्शाता है । ऐसी परिस्थिति में इतने अधिक विलम्ब को क्षमा किये जाने से आवेदकगण के पक्ष में विनिश्चयन की अंतिमता समाप्त हो जायेगी और ऐसी प्रक्रिया अंतहीन हो जायेगी । इस सम्बन्ध में 2000 आर0एन0 153 हरसिंह विरूद्ध दुल्ला में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपारित किया गया है :-

> " परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा 5- विलम्ब की माफी - ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाये तथा अन्य का अहित नहीं हो । "
>
> " परिसीमा ाअधिनियम 1963 - धारा 5- अधिनियम के उपबंध – उद्देश्य - जिस पक्षकार के पक्ष मं विनिश्चय है उसे उसकी अंतिमता का अहसास हो ' विलम्ब की माफी से ऐसी अंतिमता समाप्त हो सकती है। "

अत: उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष् विलम्ब से प्रस्तुत प्रथम अपील अवधि बाहय मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अन्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखने जाने योग्य था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है कि अनावेदिका को तहसीलदार के आदेश की जानकारी नहीं थी, जबकि जैसीकि उपर विवेचना की गई है कि अनावेदिका को प्रारंभ् से ही बंटवारे की जानकारी

रही है। अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभगीय अधिकारी का आदेश् निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश् निरस्ती योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-9-2018 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी मनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2017 स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर